

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

संख्या 109/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 के उद्देश्यों और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) में, मद (vi) में,—

(i) विद्यमान व्याख्या को व्याख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा; तथा

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—

“व्याख्या-2— इस मद में दी गई कोई बात, भारत में एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर माल के परिवहन से भिन्न सेवाओं के प्रदाय पर लागू नहीं होगी।”।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 31st December, 2018

No.109/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, for the purpose of clarifying the scope and applicability of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), hereby inserts the following Explanation, namely:-

“Explanation 2.-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above items shall be renumbered as *Explanation 1*.
3. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.